संख्या-98/2021/1685/52-1-2021-12(पी0एम0जे0वी0के0)/21

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण

उ0प्र0,लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2021

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 32वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.03.2021 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-अयोध्या, फतेहपुर, मेरठ, रायबरेली एवं सिद्धार्थनगर में स्वीकृत ट्वायलेट ब्लाक के निर्माण हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2721/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0-351 (सी0एल0डी0एफ0)/ 21 दिनांक 28.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-87/2021/1423/52-1-2021-12(पी0एम0जे0वी0के0)/21 दिनांक 11.10.2021 द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमेठी, बागपत, अयोध्या, फतेहपुर, मेरठ, रायबरेली एवं सिद्धार्थनगर में 44 टवालेट ब्लाक के निर्माण हेतु स्वीकृत केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 43.359 लाख का संशोधित आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-87/2021/1423/52-1-2021-(पी0एम0जे0वी0के0)/21 दिनांक 11.10.2021 को निरस्त करते हुए अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/14/2021-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 27.03.2021 द्वारा स्वीकृत जनपद-अयोध्या, फतेहपुर, मेरठ, रायबरेली एवं सिद्धार्थनगर में स्वीकृत कुल 27 ट्वायलेट ब्लाक के निर्माण हेतु **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** को

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 15.91 लाख के सापेक्ष **केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 07.96 लाख (रूपये सात लाख छियानबे हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्न तालिकानुसार आय-व्ययक में प्राविधानित लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0107-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल ड्रिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत् राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण(के.60/रा.40-के.+रा.) में उपलब्ध बजट से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(केन्द्रांश-60, राज्यांश -40) **(रू0 लाख में)**

क्र	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	प्रस्तावित प्रथम किश्त		मात्र केन्द्रांश के प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि	अभ्युक्ति
								केन्द्रांश	राज्यांश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अयोध्या	वि0ख0 अयोध्या के 02 प्राइमरी स्कूलों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	2	0.39	0.468	0.312	0.78	0.234	0.156	0.234	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-13/14/2021-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दिनांक 27.03.2021 द्वारा स्वीकृत विद्यालयवार सूची संलग्न है।
2	फतेहपुर	वि0ख0 फतेहपुर के 02 प्राइमरी स्कूलों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	2	1.07	1.284	0.856	2.14	0.642	0.428	0.642	
3	मेरठ	जनपद मेरठ के 20 प्राइमरी स्कूलों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	20	0.93	11.16	7.44	18.60	5.58	3.72	5.58	
4	रायबरेली	वि0ख0 रायबरेली में 02 प्राइमरी स्कूल में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	2	1.50	1.80	1.20	3.00	0.90	0.60	0.90	
5	सिद्धार्थनगर	वि0ख0 सिद्धार्थनगर के 01 प्राइमरी स्कूल में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	1	2.00	1.20	0.80	2.00	0.60	0.40	0.60	
		योग	**27**		**15.91**	**10.61**	**26.52**	**7.96**	**5.30**	**7.96**	

2- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6

http://shasanadesh.up.gov.in

के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार **प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा** तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** को हस्तानान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं

http://shasanadesh.up.gov.in

बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(8)- **धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।** उपरोक्त परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2021, 20.01.2021, 09.12.2020, 29.09.2020, 11.04.2020 एवं 24.03.2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- **लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।**

(11)- **कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।**

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेनटेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय । सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारी करने से पूर्व परियोजना के लिए निर्विवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(18)- **उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।** अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व निदेशालय का होगा।

(19)- पीएफएमएस डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि निर्गत किये जाने की प्रक्रिया तथा अवमुक्त धनराशि के उपभोग के अनुश्रवण के सम्बन्ध में दी गयी सभी शर्तो/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20)- योजनान्तर्गत बाटआउट आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेनटेज चार्ज देय नहीं होगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01 केन्द्र

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रायोजित योजनायें-0107-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल ड्रिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण(के.60/रा.40-के.+रा.)के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-3210/दस-2021-2022, दिनांक 21.12.2021 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-1685(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कार्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. लेखाधिकारी/ वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in